

न्यायालय— पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.

(आप.प्रक.क्रमांक :- 1368 / 2015)

(संस्थित दिनांक :- 26 / 12 / 2015)

म.प्र.राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मालनपुर

जिला—भिण्ड, म.प्र.

..... अभियोजन ।

### /// विरुद्ध ///

01. राजकुमार सोनी पुत्र रामप्रकाश सोनी उम्र 46 वर्ष  
निवासी :- नक्कासा नम्बर 02 नई सड़क लश्कर, थाना—इन्दरगंज,  
जिला—ग्वालियर, (म.प्र.) ।

..... अभियुक्त ।

### /// निर्णय ///

( आज दिनांक : 08 / 02 / 2017 को घोषित )

01. आरोपी राजकुमार पर धारा :- 279 एवं 338 भा.द.सं. एवं मोटर यान अधिनियम की धारा :-146/196 के अन्तर्गत आरोप है कि उसने दिनांक :- 22/10/2015 को दोपहर लगभग 04:00 बजे पंचशीला फ़ैक्ट्री के पास मालनपुर में, अपने आधिपत्य के वाहन मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.07/एम.व्ही./0511 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया, उक्त वाहन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर फरियादी शंकर को टक्कर मारकर अस्थिभंग कारित कर घोर उपहति कारित की एवं उक्त वाहन को बिना बीमा के चलाया ।

02. प्रकरण में उभय पक्ष के मध्य राजीनामा हो जाना सारवान निर्विवादित एक तथ्य है ।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 22/10/2015 को दोपहर लगभग 04:00 बजे पंचशीला फ़ैक्ट्री के पास मालनपुर में, वाहन मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.07/एम.व्ही./0511 के चालक द्वारा उक्त वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर फरियादी शंकर को टक्कर मारकर उपहति कारित करने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी शंकर द्वारा दिनांक : 14/11/2015 को थाना मालनपुर पर की जाने पर, थाना मालनपुर में वाहन मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.07/एम.व्ही./0511 के चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 188/2015 अन्तर्गत धारा 279 एवं 337 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। आहत शंकर के एक्स-रे परीक्षण में अस्थिभंग होने का उल्लेख होने के कारण आरोपी के विरुद्ध धारा 338 भा.द.सं. का इजाफा

किया गया। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। वाहन मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.07/एम.व्ही./0511 को जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। आरोपी द्वारा जब्तशुदा वाहन का बीमा प्रस्तुत ना करने पर आरोपी के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम की धारा 146/196 का इजाफा किया गया। जब्तशुदा वाहन का यांत्रिक परीक्षण कराया गया। फरियादी शंकर, साक्षीगण बल्लू एवं राजेन्द्र के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

04. अभियुक्त राजकुमार के विरुद्ध धारा 279 एवं 338 भा.द.सं. एवं मोटर यान अधिनियम की धारा :- 146/196 के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझायें जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का अभिवाक् अंकित किया गया। आरोपी एवं फरियादी शंकर के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण अभियुक्त को धारा 338 भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है।

05. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :-

01. क्या आरोपी राजकुमार ने दिनांक :- 22/10/2015 को दोपहर लगभग 04:00 बजे पंचशीला फैक्ट्री के पास मालनपुर में, अपने आधिपत्य के वाहन मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.07/एम.व्ही./0511 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया?

02. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर उक्त वाहन को बिना बीमा के चलाया?

03. अंतिम निष्कर्ष?

**सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष**  
**विचारणीय बिन्दु क्रमांक : 01 एवं 02**

06. साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 एवं 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

07. फरियादी शंकर अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 16/12/2016 से लगभग एक साल पहले की होकर दोपहर लगभग 03-04 बजे की पंचशीला फैक्ट्री के पास आम रास्ते की है। उक्त दिनांक को वह साईकिल से मालनपुर

से हरीराम की कुईया की तरफ आ रहा था, तभी गोहद की तरफ से आ रही मोटर साईकिल चालक ने उसे टक्कर मार दी थी, टक्कर लगने से उसका बाया पैर फैंक्चर हो गया था। साक्षी आगे कहता है कि किसी ने एम्बूलेंस को फोन कर दिया था, एम्बूलेंस ईलाज हेतु उसे ग्वालियर लेकर गई थी। ग्वालियर से लौटकर आकर उसने पन्द्रह-बीस दिन बाद घटना की रिपोर्ट थाना मालनपुर में लेखबद्ध कराई थी, जो प्र.पी.02 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने इस संबंध में घटनास्थल का नक्शा-मौका प्र.पी. 03 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने इस संबंध में उससे पूछताछ की थी। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी फरियादी शंकर अ.सा.02 ने आरोपी राजकुमार द्वारा दिनांक :- 22/10/2015 को दोपहर लगभग 04:00 बजे पंचशीला फैंक्ट्री के पास मालनपुर में, अपने आधिपत्य के वाहन मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी. 07/एम.व्ही./0511 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न करने एवं उक्त वाहन को बिना बीमा के चलाये जाने का तथ्य नहीं बताया है। इस वावत् फरियादी शंकर अ.सा.02 की न्यायालयीन अभिसाक्ष्य तथा उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.02 एवं पुलिस कथन प्र.पी.04 के तथ्यों के मध्य ऐसे लोप हैं, जो विरोधाभास की प्रकृति के हैं।

08. अभियोजन द्वारा इस बावत कोई अन्य साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह प्रकट होता हो कि आरोपी राजकुमार ने दिनांक : 22/10/2015 को दोपहर लगभग 04:00 बजे पंचशीला फैंक्ट्री के पास मालनपुर में, अपने आधिपत्य के वाहन मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.07/एम.व्ही./0511 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया। प्रकरण में आरोपी राजकुमार ने धारा 146/196 मोटर यान अधिनियम के आरोप को स्वेच्छया स्वीकार किया है।

09. आरोपी तथा फरियादी के मध्य राजीनामा हो जाने का तथ्य अभिलेख में है और फरियादी/साक्षी शंकर अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में भी आया है।

### अंतिम निष्कर्ष

10. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन आरोपी राजकुमार के विरुद्ध धारा 279 भा.द.सं. के आरोप संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपी राजकुमार को भा.द.सं. की धारा 279 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। आरोपी राजकुमार को उसके द्वारा की गई स्वेच्छिक स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 146/196 मोटर यान अधिनियम के आरोप से दोषसिद्ध किया गया।

11. आरोपी राजकुमार को परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ देने पर विचार किया गया। परन्तु आरोपी द्वारा किये गये, कृत्य से लोकमार्ग पर बिना बीमा के वाहन चलाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है, इसलिए आरोपी राजकुमार को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता।
12. प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि आरोपी राजकुमार एवं फरियादी शंकर के मध्य राजीनामा हो चुका है और उक्त राजीनामा अभिलेख पर भी है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी राजकुमार को मोटर यान अधिनियम की धारा 146/196 के आरोप के लिए 100/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर आरोपी राजकुमार को 01 दिवस का सश्रम कारावास भुगताया जावे।
13. आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।
14. प्रकरण में जब्तशुदा वाहन मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी.07/एम.व्ही./0511 पूर्व से ही उसके पंजीकृत स्वामी राजकुमार के पास सुपुर्दगी पर है, सुपुर्दगीनामा उन्मोचित किया जाता है। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।  
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद